फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

गैंग्सटर में दो को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संतोष भारद्वाज ने घसिया चिलौली निवासी प्रवेश कुमार, जयवीर उर्फ सुआलाल व सोबरन के खिलाफ 4 नवंबर 2000 को गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा विचारण के दौरान आरोपित सोबरन की मौत हो गई। बकाया आरोपितों के खिलाफ मुकदमे में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत गैंग्सटर के न्यायाधीश रितिका त्यागी ने प्रवेश कुमार व जयवीर उर्फ सुआलाल को गैंग्सटर में दोषी पाकर तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

गैंगस्टर में तीन तीन साल की सजा

फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने उन्हें गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप अधिनियम में दो दोषियों को तीन तीन साल की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही पांच पांच हजार का जुर्माना भी किया है।

कायमगंज कोतवाली में वर्ष 2000 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संतोष भारद्वाज की ओर से घसिया चिलौली गांव निवासी प्रवेश कुमार और जयवीर उर्फ सुआलाल के अलावा सोबरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। सोबरन की मृत्यु हो जाने के कारण उसके खिलाफ विशेष सत्र परीक्षण की कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर 23 अगस्त 2005 को खत्म कर दी गयी। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने प्रवेश कुमार, ...वीर उर्फ सुआलाल को तीन तीन ...के कारावास से दंडित किया है।

मीडिया सेल फतेहगढ़

@fatehgarhpolice @fatehgarhpolice Contact no- 7839856742

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

दैनिक जागरण

गैंगस्टर आरोपित की नौ संपत्तियां जब्त, लगाए बोर्ड

- तहसीलदार सदर ने पुलिस की मौजूदगी में की कार्रवाई
- आरोपित सर्वेश की अब तक 14.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : सट्टा माफिया गैंग के सक्रिय सदस्य सर्वेश पाल पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा और कस गया है। गैंगस्टर के मामले में गत माह उसका भोजनालय सील कर दिया गया था। मंगलवार को तहसीलदार सदर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पुलिस की मौजूदगी में उसकी नौ संपत्तियां जब्त कर वहां बोर्ड लगवा दिए। अभी तक उसकी कुल 14.14 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

फतेहगढ़ कोतवाली के मुहल्ला मेयर रोड भोलेपुर की पालीवाल गली निवासी सर्वेश पाल के खिलाफ पिछले दिनों गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। वह शहर कोतवाली के मुहल्ला खटकपुरा सिरौली निवासी सट्टा माफिया हसनैन के गैंग का सक्रिय सदस्य है। तहसीलदार सदर सनी कनौजिया ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के आदेश से मंगलवार शाम फतेहगढ़ कोतवाली के गांव फनसुआ व बिजाधरपुर स्थित सर्वेश पाल की नौ संपत्तियां जब्त कर लीं। जिनकी कुल कीमत 76418290 रुपये है। अभी तक सर्वेश पाल की कुल 141433385 रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। जबकि सट्टा माफिया हसनैन की पहले ही 212896255 रुपये की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। सर्वेश पाल की संपत्ति कुर्की कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, मऊदरवाजा थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह, शहर कोतवाली प्रभारी राजीव पांडेय फोर्स संग मौजूद रहे।

अमर उजाला

गैंगस्टर सर्वेश की भोलेपुर में खरीदी गई 7.64 करोड़ की संपत्ति कुर्क

अब तक 14.14 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की जा चुकी कुर्क

सर्वेश पाल सट्टा माफिया हसनैन का करीबी है

फर्रुखाबाद। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर सर्वेश पाल के नाम भोलेपुर में खरीदी गई करीब 7.64 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मंगलवार को तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिसबल के साथ जाकर कुर्की की कार्रवाई की।

पालीवाल वाली गली मेयर रोड भोलेपुर फतेहगढ़ निवासी सर्वेश पाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सर्वेश पाल के नाम भोलेपुर में सात करोड़ चौसठ लाख 18 हजार 290 रुपये की खरीदी गई संपत्ति है।

न्यायालय ने उसकी इस संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को नायब तहसीलदार सदर सनी कनौजिया मय राजस्व टीम के साथ गांव बिजाधरपुर पहुंचे। उन्होंने मुनादी कराकर गैंगस्टर सर्वेश पाल की संपत्ति कुर्क की।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के अलावा मऊदरवाजा व शहर कोतवाल पुलिसबल के साथ मौजूद रहे। राजस्व टीम ने नोटिस चस्पा करते हुए कुर्की की कार्रवाई की। जो संपत्ति कुर्क की गई है, उसमें सर्वेश पाल के नाम नौ आवासीय प्लाट शामिल हैं, जिनकी कीमत 7,6418,290 रुपये है।

अब तक गैंगस्टर सर्वेश की करीब 14.14 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कुछ दिन पहले ही सर्वेश की पत्नी नीरज के नाम दर्ज भोजनालय कुर्क किया गया था। सर्वेश सट्टा माफिया हसनैन का करीबी माना है। (संवाद)

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0-10.09.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. प्रवेश कुमार पुत्र रामसिंह धीमर, 2. जयवीर उर्फ सुआ लाल पुत्र पुत्तू लाल निवासीगण ग्राम घसिया चिलौली थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-361/2000 वाद स0- 132/2001 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 10.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगेस्टर कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 05-05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी – श्री शैलेश कुमार

को0मो0 हे0 का0 राजेश कुमार

पैरोकार – का0 विबेक कुमार

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट -थाना कम्पिल

दिनांक - 10.09.2025

स्वयं को गोली मारकर अपने परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फँसाने हेतु पुलिस को झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को 01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री राजेश कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी ग्राम बिल्हा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 217/231 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. रामप्रकाश पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी ग्राम बिल्हा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण - दिनाँक 07.09.2025 को अभियुक्त रामप्रकाश उपरोक्त द्वारा अपने चचेरे-तहेरे भाई तथा भतीजे को झूठे मुकदमें में फँसाने के लिए अवैध तमंचे से अपने बाये हाथ में गोली मार ली थी और डायल 112 पर सूचना दी थी। उपरोक्त प्रकरण में जाँच के दौरान पता चला कि रामप्रकाश उपरोक्त द्वारा स्वयं को गोली मारकर अपने परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फँसाने हेतु पुलिस को झूठी सूचना दी थी। थाना कम्पिल पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी ग्राम बिल्हा थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना कम्पिल पर दिनांक 10.09.2025 को मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 217/231 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्त नें पूछने पर बताया कि मेरा अपने चचेरे-तहेरे भाईयों से विवाद चल रहा है। दिनांक 07.09.2025 को मैंने अपने चचेरे-तहेरे भाई तथा भतीजे को झूठे मुकदमें में फँसाने के लिए इसी तमंचे से अपने बाये हाथ में गोली मार ली थी और डायल 112 पर झूठी सूचना दी थी। अस्पताल से आने के बाद मुझे पता चला कि पुलिस को इस बात की जानकारी हो गयी है कि मेरे द्वारा खुद को गोली मारकर अपने चचेरे तहेरे भाईयों एंव भतीजे को फसाने की कोशिश की गई थी इसलिए आज मैं इस तमन्चे को कहीं छुपाने जा रहा था तभी आपने मुझे पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त रामप्रकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 217/231 बीएनएस थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल कुमार
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह
3. का0 गुलशन ध्रुव

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना जहानगंज

दिनांक :- 10.09.2025

एसओजी/सर्विलांस/थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/2025 धारा 191(2)/105 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री हरीश चंदर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अजय वर्मा के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस/थाना जहानगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 151/25 धारा 191(2)/105 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र मुन्ना को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम कछियन नगला जैतपुर थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 08.09.2025 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को पेट्रोल डाल कर जला देना और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 191(2)/105 बीएनएस, बनाम 1. दीपक पुत्र मुन्ना सिंह निवासी उपरोक्त 02. पाँच व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त दीपक पुत्र मुन्ना सिंह निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त दीपक पुत्र मुन्ना सिंह उपरोक्त ने बताया कि मृतका से लगभग 04 वर्ष पूर्व फेसबुक से बात हुई थी। फेसबुक से बात के दौरान यह मालूम हुआ की उसका भी मायका मेरे घर से लगभग 05 कि0मी0 की दूरी पर है। जिसके बाद से मेरी बात मोबाइल व व्हाटसअप काल पर होने लगी तथा मैंने उसे नेकपुर चौरासी में 2025 में किराये का मकान दिलाया था। हम लोगो की कई बार मुलाकात हुई।

जाँच में उपरोक्त प्रकरण मे यह तथ्य सामने आये कि अभियुक्त उपरोक्त मृतका पर साथ में रहने का दबाब बना रहा था जिसके लिए महिला तैयार नहीं थी। दिनांक 06.09.2025 को समय लगभग 11.00 बजे अभियुक्त ने महिला पर साथ में रहने का दवाब बनाया। महिला घर पर मिलने आई और साथ में रहने से मना किया। परन्तु अभियुक्त फिर भी साथ में रहने का दवाब बनाता रहा इस बात से क्षुब्ध होकर महिला ने अभियुक्त के गाँव से 800 मीटर दूर खेत में जाकर स्वयं पर पैट्रोल छिड़कर आग लगा ली। अभियुक्त द्वारा अपने कपड़े महिला को पहनाए गए। वे कपड़े पहनकर महिला स्वयं स्कूटी चलाकर अस्पताल चली गयी, और अभियुक्त ने अपने चाचा के लडके से अपने कपड़े मंगवाए और वहाँ से चला गया। अभियुक्त दीपक उपरोक्त मृतका को अपने साथ में रहने के लिए दबाव बनाता था जबकि मृतका अपने पति व बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसी दबाव के चलते मृतका द्वारा पैट्रोल डालकर आत्महत्या की गई।

अभियुक्त दीपक पुत्र मुन्ना सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 151/25 धारा 191(2)/105 बीएनएस थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष राजेश राय
2. उ0नि0 आनन्द शर्मा
3. हे0का0 मंयकदीप
4. हे0का0 सुनील कुमार
5. का0 निरंकार सिंह
6. का0 सोनू सिंह

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम-

1.प्रभारी उ0नि0 सचिन सिंह चौधरी
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 बलवीर सिंह
4. का0 धर्मेंद्र सिंह
5. का0 दिव्यांशु

6. का0 सौरभ धीमान
7. का0 विनोद सिंह
8. का0 विकास चन्द्र
9.मुख्य आरक्षी चालक चंद्रशेखर

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम-

1.प्रभारी उ0नि0 संतकुमार
2. हे0का0 संदीप राव
3. हे0का0 अनुराग कुमार
4. हे0का0 सचेंद्र सिंह
5. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।